रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2175] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2017/श्रावण 13, 1939
No. 2175] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2017/SRAVANA 13, 1939

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2017

का.आ. 2475(अ).—जबकि, सेवाओं अथवा लाभों अथवा राजसहायताओं की आपूर्ति के लिए पहचान पत्र रूप में आधार के उपयोग से सरकार की वितरण प्रक्रिया सरल होती है, इससे पारदर्शिता और दक्षता आती है और सरल एवं निरंतर रीति से लाभार्थियों को उनके अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं साथ ही पहचान साबित करने के लिए लाभार्थियों द्वारा अनेक कागजात प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निराकरण आधार करता है;

और जबकि, भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (तदुपरान्त मंत्रालय के रूप में संदर्भित) किसानों को सस्ती दरों पर कृषि ऋण पर राजसहायता प्रदान करने के लिए **ब्याज छूट स्कीम (आईएसएस)** (तदुपरान्त ब्याज के रूप में संदर्भित) को अभिशासित करेगी और स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न घटकों के माध्यम से ऋणों के तत्काल पुनर्भुगतान के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है।

किसानों को (तदुपरान्त लाभार्थियों के रूप में सन्दर्भित) इस कृषि ऋण पर राजसहायता और तत्काल पुनर्भुगतान के लिए प्रोत्साहन (तदुपरान्त लाभ के रूप में संदर्भित) पात्र अनुसूचित बैंको और अन्य सहकारी संस्थानों (तदुपरान्त कार्यान्वयक एजेंसियों के रूप में संदर्भित) से ऋण लेने पर दिया जाता है;

मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) (तदुपरान्त विनियामको के रूप में संदर्भित) के माध्यम से उन्हें भुगतान करके कार्यान्वयन एजेंसियों के स्कीम के घटकों की तुलना में लेखा परीक्षित दावों की व्यवस्था द्वारा स्कीम का कार्यान्वयन करती है, के मामले हो सकते हैं । कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लाभार्थियो के खाते में लाभ को विनायामको द्वारा मंत्रालय से अपना भुगतान करने के पूर्व अथवा बाद में जमा कर दिया जाएगा ।

और जबकि, उपर्युक्त स्कीम में भारत के समेकित निधियों से किए गए व्यय शामिल है :

अत: इसलिए आधार (वित्तीय और अन्य राजसहायताओं, लाभों और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) अधिनियम 2016 (2016 का 18) (तदुपरान्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले सभी पात्र किसानों के लिए आधार प्रमाणीकरण अथवा आधार होने का सत्यापन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(2) योजना के तहत लाभ उठाने वाला कोई भी किसान, (जो आधार के लिए अभी तक नामांकित नहीं है) से एतद्द्वारा 30 सितम्बर, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित अथवा वह कथित अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है तो ऐसे व्यक्ति किसी भी आधार नामांकन केंद्र भारतीय विशिष्ट पहचानीकरण प्राधिकरण यूआईडीएआई से संपर्क कर सकते हैं आधार के लिए नामांकन कराने के लिए सूची www.udai.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार संबंधित मंत्रालय इसके कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से लाभार्थियों के लिए नामांकन सुविधाओं का प्रबंधन अथवा ऑफर करना अपेक्षित होता है जो आधार के लिए अभी नामांकित नहीं हुए हैं उन लाभार्थियों के लिए ब्लॉक अथवा तहसील अथवा तालुका में कोई आधार नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के मामले में संबंधित मंत्रालय द्वारा वर्तमान यूआईडीएआई के पंजीयक के साथ समन्वय करके सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान की जाएं।

बशर्ते व्यक्ति को आधार मिलने तक, योजना के तहत ब्याज छूट किसानों द्वारा निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात:

क (i) यदि उसने नामांकन किया है, उसकी अथवा उसका आधार नामांकन आईडी पर्ची; अथवा

(ii) आधार नामांकन के लिए पैराग्राफ 2 के उपपैराग्राफ (ख) में निर्धारित; उसका/उनका अनुरोध की प्रति और

(ख) (i) फोटो के साथ बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या (ii) किसान फोटो पासबुक; अथवा (iii) किसान क्रेडिट कार्ड; अथवा (iv) वोटर आई कार्ड; अथवा (v) स्थायी खाता सं. (पीएएन) कार्ड; अथवा (vi) पासपोर्ट; अथवा (vii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अंतर्गत लाईसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राईविग लाईसेंस; अथवा (viii) राशन कार्ड, अथवा (ix) मनरेगा कार्ड; अथवा (x) कार्यालय लेटर हेड पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी की गई ऐसे सदस्यों की फोटो के साथ पहचान प्रमाणपत्र (xi) मंत्रालय निर्धारित अन्य कोई दस्तावेज;

बशर्ते, इसके अलावा इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त कागजात की जांच की जाएगी।

2. योजना के तहत लाभार्थियों को आसान एवं जटिलता से मुक्त लाभ प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपने कार्यान्वयन सहित सभी अपेक्षित निम्नलिखित प्रबंध करते हैं, अर्थात:—

(1) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्कता के बारे में आवेदकों अथवा किसानों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया और वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और जिसे आवेदनकर्ता पहले से नामांकित नहीं है उन्हें 30 सितम्बर, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध नजदीकी नामांकन केंद्र पर अपने आप को नामांकित करवाने के लिए सलाह दी जाएगी । स्थानीय नामांकन केंद्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि योजना के लाभार्थी ब्लाक, तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन नहीं करवा पाने को मामले में मंत्रालय का अपनी एजेंसियों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराना वांछनीय है और लाभार्थियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने आधार नामांकन के आवेदन के लिए अपने नाम, पता, मोबाईल नम्बर और अन्य विवरण को पैरा 1 के उप पैरा (3) के पहले प्रावधान में निर्देशानुसार मंत्रालय द्वारा तैनात/नियुक्त अधिकारी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित अनुसूचित बैंक की शाखाएं अथवा कृषि अथवा बागवानी अथवा सहकारी विभाग के फील्ड अधिकारीयों से अथवा वेब पोर्टल पर नामांकन के पंजीकरण का अनुरोध कर सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[सं.18011/01/2015-ऋण-II (पार्ट)]

डॉ. आशीष कुमार भूटानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2017

S.O. 2475(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the **Interest Subvention Scheme (ISS)** (hereinafter referred to as the Scheme) with an objective of providing subsidy on agricultural credit to the farmers to facilitate short-term agricultural loan at concessional rate of interest and incentivize them for prompt repayment of loan through various components as per scheme guidelines;

And whereas, under the Scheme, the subsidy on agriculture credit and incentive for prompt repayment (hereinafter collectively referred to as benefits) are offered to farmers (hereinafter referred to as the beneficiaries) who take loans from eligible Scheduled Banks and other Cooperative Institutions (hereinafter collectively referred to as the Lending Agencies);

And whereas, the Ministry implements the Scheme by settling the audited claims against the components of the Scheme, of the Lending Agencies by paying them through Reserve Bank of India (RBI) and National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), as the case may be, (hereinafter referred to as the Implementing agencies) and such benefit is credited to the beneficiary's account by Lending Agency either before forwarding or post collecting the payments through Implementing Agency from the Ministry;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) All farmers eligible for receiving the benefits under the Scheme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

2. (2) Any farmer desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 30th September, 2017 provided she or he is entitled to obtain Aadhaar under section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre specified in the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website (www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

   (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies, shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or the Ministry itself becoming UIDAI Registrar:

   Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with Photo; or (ii) Kisan Photo Passbook; or (iii) Kisan Credit Card; or (iv) Voter ID Card; or (v) Permanent Account Number (PAN) Card; or (vi) Passport; or (vii) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (viii) Ration Card; or (ix) MGNREGS Card; or (x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (xi) Any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Implementing Agencies for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th September, 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated official of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F.No. 18011/01/2015-Credit-II (Pt)]

Dr. ASHISH KUMAR BHUTANI, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.08 19:15:04 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.